

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/90/2014

दर्ज दिनांक:-07.08.2014

1. बहादुर पता- .....प्रार्थी

बनाम

2. नथिया पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-04.04.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। अतः दावा वादीगण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर